दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पॉलिसी/ 08 दिनांक: 15.09.2022

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.- 247/2022

विषय:- Clarification regarding surrender of Privilege Passes for availing All India Leave Travel Concession (AILTC) facility on N.F. Railway.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. **E(W)2021/PS5-2/8** दिनांक: **31.08.2022** की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है।

उपरोक्त नियम दपूमरे की अधिकारिक वेब-साइट http://www.secr.indianrailways.gov.in एवं PCPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—Dept./Div of SECR—HQ—Personnel—Rules & Publications

Share Folder-

Personnel—PCPO—Ruling—html—Estt. Rules

संलग्नः- यथोक्त.

15.9.22
(अशोक कुमार शर्मा)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच.आर.डी)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Azadi Ka Amrit Mahotsav

No. E(W)2021/PS5-2/8 **New Delhi, dated 31.08.2022**

The General Manager (P)
Northeast Frontier Railway
Guwahati.

Sub: Clarification regarding surrender of Privilege Passes for availing All India Leave Travel Concession (AILTC) facility on N. F. Railway.

Ref: (i) N.F. Rly's letter No. E/166/AILTC-SCP/76(O) dated 15.03.2021.
(ii) DoP&T's OM No. 31011/15/2017-Estt.A-IV dated 27.03.2018.

N. F. Railway vide their letter cited under Ref.(i) above have sought clarification as to whether for availing AILTC facility, Railway officials working on N. F. Railway need to surrender the one extra set of Privilege Pass which is being granted to them as special dispensation, alongwith Privilege Passes normally entitled to in a calendar year.

2. The issue has been examined in consultation with Department of Personnel and Training (DoP&T). It has been observed that as per DoP&T's OM cited under Ref.(ii) above, Railway employees need to surrender only the Privilege Passes of a calendar year admissible to them under the Railway Servants (Pass) Rules, 1986 (Second Edition – 1993) to avail AILTC facility whereas one additional set of Privilege Pass per year is granted to officials of N. F. Railway as a part of additional Allowances and Facilities under different set of instructions. Accordingly, with the approval of the Competent Authority, it is clarified that the additional set of Privilege Pass will be out of the ambit of AILTC facility and Railway Servants need not surrender the same for availing AILTC facility.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

V. [signature] 31/8/22
(V. Muralidharan)
Dy. Director Estt. (Welfare)-I
Railway Board
E-mail : ddew1@rb.railnet.gov.in
Phone : 011-23047203

Copy to : General Managers (P), All Zonal Railways & PUs for information.

तल सं./Floor No.5, कमरा नं./Room No.538, रेल भवन/Rail Bhawan,
रायसीना रोड/Raisina Road, नई दिल्ली/New Delhi -110001

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

सं. ई(डब्ल्यू)2021/पीएस5-2/8 **नई दिल्ली, दिनांक 31.08.2022**

महाप्रबंधक (कार्मिक)
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
गुवाहाटी।

विषय: पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत (एआईएलटीसी) का लाभ उठाने के लिए सुविधा पासों के अभ्यर्पण करने से संबंधित स्पष्टीकरण ।

संदर्भ: (i) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का दिनांक 15.03.2021 का पत्र सं. ई/166/एआईएलटीसी-एससीपी/76(ओ).

(ii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 27.03.2018 का का. ज्ञा. सं. 31011/15/2017-स्था.ए-IV.

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने उक्त संदर्भ (i) में उल्लिखित पत्र के तहत स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या एआईएलटीसी सुविधा का लाभ उठाने के लिए पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में कार्यरत रेल अधिकारियों/कर्मचारियों को कैलंडर वर्ष में पात्र सुविधा पास के साथ विशेष व्यवस्था के रूप में प्रदेय सुविधा पास का एक अतिरिक्त सेट भी अभ्यर्पण करने की आवश्यकता है ।

2. इस मामले की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपी एंड टी) के परामर्श से जांच की गई है । यह पाया गया है कि उक्त संदर्भ (ii) में उल्लिखित डीओपी एंड टी के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार रेल सेवकों को एआईएलटीसी सुविधा का लाभ उठाने के लिए उन्हें रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण -1993) के तहत कैलंडर वर्ष में प्रदेय सुविधा पासों का ही अभ्यर्पण करने की आवश्यकता है जबकि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अधिकारियों/कर्मचारियों को अलग अनुदेशों के तहत अतिरिक्त भत्ते और सुविधाओं के रूप में प्रति वर्ष सुविधा पास का एक अतिरिक्त सेट दिया जाता है । तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह स्पष्ट किया जाता है कि सुविधा पास का अतिरिक्त सेट एआईएलटीसी सुविधा के दायरे से बाहर होगा और रेल सेवकों द्वारा एआईएलटीसी की सुविधा का लाभ उठाने के लिए इसका अभ्यर्पण करने की आवश्यकता नहीं है ।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

वी. मुरलीधरन
(वी. मुरलीधरन)
उपनिदेशक, स्थापना (कल्याण)-I
रेलवे बोर्ड
ई-मेल : ddew1@rb.railnet.gov.in
फोन : 011-23047203

प्रतिलिपि प्रेषित: महाप्रबंधक (कार्मिक), सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयों को सूचनार्थ ।